



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062022-236376
CG-DL-E-07062022-236376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402]
No. 402]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISHTHA 17, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सा.का.नि. 423(अ).— अंतर्देशीय जलयान (कर्मीदल और यात्री स्थान सुविधा) नियम, 2022 का प्रारूप, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i), तारीख 22 फरवरी, 2022 में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 145(अ), तारीख 22 फरवरी, 2022 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्तिसे पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 फरवरी, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यफ) और खंड (ययक) के साथ पठितधारा 7 की उपधारा (1) और धारा 80 द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

भाग 1**प्रारंभिक**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (कर्मिदल और यात्री स्थान सुविधा) नियम 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशनकीतारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021(2021 का 24) अभिप्रेत है;
- (ख) "विद्यमान जलयान" या "विद्यमान अंतर्देशीय जलयान" से ऐसा कोई अंतर्देशीय जलयान अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 3 के खंड (थ) के अधीन उपबंधित परिभाषा की अधिकारिता के अधीन आता है;
- (ग) "प्रमुख संपरिवर्तन या उपांतरण" से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है-
- (i) जलयान के सकल टन भार में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन;
- (ii) जलयान के प्रकार में परिवर्तन; और
- (iii) प्रणोदन प्रणाली/मुख्य इंजन/ईंधन के प्रकार में परिवर्तन;
- (घ) "नए अंतर्देशीय जलयान" से कोई ऐसा अंतर्देशीय जलयान अभिप्रेत है, नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात्, जिसका पेंदा रखा गया है या जो सन्निर्माण की वैसी ही अवस्था में है;
- (ङ) किसी जलयान का "सकल टनभार (जीटी)" अंतर्राष्ट्रीय टनभार कन्वेंशन 1969 के उपबंधों के अनुसार आकलित सकल टनभार है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में है।

भाग 2**वर्गीकरण और अनुपालन**

3. **अंतर्देशीय जलयान का वर्गीकरण—**इन नियमों के प्रयोजन के लिए अंतर्देशीय जलयानों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा-
- (अ) श्रेणी क—जलयान, जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वे निम्नलिखित में से किसी प्रकार के डेकनुमा जलयान होंगे:
- (क) हाऊसबोट से भिन्न जलयान, जिनकी लम्बाई 24 मीटर से अधिक हैं और 30 मीटर से अधिक लंबाई वाले हाऊसबोट ;
- (ख) जलयान, जो बोर्ड पर 50 से अधिक यात्रियों को ले जाते हैं;
- (ग) अन्य जलयानों को खींचने के लिए सुसज्जित सभी जलयान, जिनकी जहाजी खूँटा खींचने की क्षमता 10 टन से अधिक है;
- (घ) स्थोरा के रूप में थोक में पेट्रोलियम माल, रसायन या तरलीकृत गैसों को वहन करने के लिए डिजाइन और सन्निर्मित किए गए जलयान;
- (ङ) खतरनाक माल वहन करने वाले जलयान; और
- (च) 300 सकल टनभार और उससे अधिक के जलयान।
- (आ) श्रेणी ख - जलयान, जो श्रेणी क या श्रेणी ग के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(इ) श्रेणी ग - 10 मीटर से कम लंबाई के जलयान।

4. **अनुपालन की अपेक्षाएं-** (1) सभी विद्यमान अंतर्देशीय जलयान इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

(2) नए अंतर्देशीय जलयानों के स्वामी और मास्टर, यह सुनिश्चित करेंगे कि जलयान इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्मित, अनुरक्षित और प्रचालित किया गया है।

(3) किसी भी अंतर्देशीय जलयान को जलयान अधिनियम और अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणीकरण) नियम, 2022 के अंतर्गत सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र के साथ जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा जलयान इन नियमों के अधीन कर्मीदल और यात्रियों के आवास के लिए मानकों का अनुपालन नहीं करता है।

(4) उपनियम (1) से उपनियम (3) में किसी बातके होते हुए भी, राज्य सरकार जलयानों की किसी श्रेणी के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं लागू कर सकेगी।

(5) राज्य सरकारें, किसी भी अंतर्देशीय जलयान को छूट दे सकेगी, जिसमें इन नियमों के किसी उपबंध से नवीन प्रकार की विशेषताएं निहित हैं, जिनका अनुप्रयोग ऐसी विशेषताओं के विकास में अनुसंधान और जलयानों में उनके समावेश को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है।

भाग 3

300 सकल टनभार और उससे अधिक के जलयानों के लिए नियम

5. **लागू होना-** यह भाग 300 सकल टनभार और उससे अधिक के "श्रेणी-क" के सभी जलयानों को लागू होगा।

6. **स्थान-सुविधा की सामान्य अपेक्षाएं-** (1) अंतर्देशीय जलयानों में बोर्ड पर आभ्यासिक रहने वाले व्यक्तियों के लिए और न्यूनतम कर्मीदल के लिए स्थान-सुविधा होगी।

(2) स्थान-सुविधा इस तरह से डिजाइन, व्यवस्थित और फिट की जाएगी कि वह जलयान पर सवार लोगों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और आराम की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और ऐसी स्थान-सुविधा सुरक्षित और आसान अभिगम वाली तथा गर्मी और ठंड के विरुद्ध पर्याप्त रूप से तापावरोधी होगी।

(3) उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए, कर्मीदलस्थान-सुविधा और उस तक पहुँचने और वहाँ से निकलने के साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित और निर्मित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि--

- (क) व्यावहारिक सीमा तकक्षति के विरुद्ध कर्मीदल की सुरक्षा;
- (ख) प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के विरुद्ध कर्मीदल स्थान-सुविधा की सुरक्षा;
- (ग) जलयान में अन्य स्थानों में उत्पन्न होने वाले निःस्पंदन की कर्मीदल स्थान-सुविधासे निष्कासन; तथा
- (घ) जलयान में अन्य स्थानों में उत्पन्न होने वाले शोर का कर्मीदल स्थान-सुविधा से व्यावहारिक सीमा तक निष्कासन।

7. **स्थान-सुविधा के लिए विशेष डिजाइन अपेक्षाएं-** रसोई भंडार, वस्त्र सुखाने के कक्षों, लॉकरों, भण्डार कक्ष स्वच्छता आवास, यात्रामार्गों, कार्यालयों से भिन्न, कर्मीदल स्थान-सुविधा के प्रत्येक भाग को प्राकृतिक प्रकाश से उचित रूप से प्रकाशमान किया जाएगा और, यथासंभव रूप से, सार्वजनिक रिहायशी क्वार्टर विकल्प प्रदान करेंगे।

परंतु जलयान में किसी स्थान पर, उचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था प्रदान करना अव्यावहारिक है, तो ऐसी प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उस स्थान में हमेशा पर्याप्त विद्युत प्रकाश उपलब्ध हो।

(2) खान-पान कक्ष और शयन के बिन में कम से कम दो निकास होंगे, जो एक दूसरे से यथासंभव दूर हो और जो बचने के मार्गों के रूप में कार्य करते हैं और निकासों में से एक को आपातकालीन निकास के रूप में डिजाइन किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन निकास की अपेक्षाएं उन कक्षों पर लागू नहीं होगी, जिनके निकास सीधे डेक पर याग लियारे में खुलते हैं और जो निकास समारग के रूप में कार्य करते हैं और बड़े कमरे जैसे डॉर्मिटरी में दो निकास द्वार प्रदान किए

जाएंगे तथा आपातकालीन निकास, जिसमें रोशनदान और खिड़कि यां सम्मिलित हो सकते हैं, में कम से कम 0.36 वर्ग मीटर का स्पष्ट द्वार होगा और उसकी सबसे छोटी साइड 0.50 मीटर से कम नहीं होगी और आपातस्थिति में उससे त्वरित निकासी सुगम होगी।

(4) बचाव मार्ग तापावरोधन और आवरणलपट –प्रतिरोधी सामग्री से बना होगा और बचाव मार्गों की उपयोगिता को प्रत्येक समय उचित माध्यमों, जैसे सीढ़ीया अलग से संलग्न निसैनियों द्वारा उपयोग के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) खान-पान कक्ष का फर्श क्षेत्रफल प्रतिव्यक्ति 0.7 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा और इसके लिए विचार में ली गई व्यक्तियों की संख्या, बोर्ड पर कुल कर्मिदल के 70% तक सीमित हो सकेगी।

(6) शयन केबिन का फर्श क्षेत्रफल सामान्य रूप से प्रति व्यक्ति न्यूनतम 2.5 वर्ग मीटर होगा और एक से अधिक व्यक्तियों को समायोजित करने वाले शयनकक्षों के लिए, न्यूनतम फर्श क्षेत्रफल प्रतिव्यक्ति 1.75 वर्ग मीटर तक कम किया जा सकेगा।

(7) दरवाजों का मुखभाग कम-से-कम 0.60 मीटर की स्पष्ट चौड़ाई वाला होगा और विहित ऊंचाई सरकवां या कब्जेदार कवर या पल्ले के माध्यम से हासिल की जा सकेगी।

(8) गलियारे में खुलने वाले केबिन के दरवाजों को छोड़कर अन्य दरवाजे आम तौर पर बाहर की ओर खुलेंगे, और उन्हें दोनों तरफ से खोलना संभव होगा।

(9) सीढ़ियां स्थायी रूप से जुड़ी होंगी और उनका डिजाइन ऐसा होगा कि,-

(क) वे कम-से-कम 0.60 मी चौड़ी हो;

(ख) पावड़ी न्यूनतम 0.15 मी गहरी हो;

(ग) सीढ़ियां फिसलन-रोधी हों; और

(घ) तीन सीढ़ियों से अधिक के साथ सीढ़ीमार्ग में न्यूनतम एक कटघराया हल्था लगा हो।

(10) खतरनाक गैसों या द्रव्यों को ले जाने वाले पाइप, और विशेष रूप से जिनमें ऐसे उच्च दबाव हैं जिनका रिसाव व्यक्तियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, आवास स्थानों या उन गलियारों में स्थित नहीं होंगे, जो आवास स्थानों की ओर जाते हैं:

परंतु यह उपनियम वाष्प पाइपों और हाइड्रोलिक सिस्टम पाइपों पर लागू नहीं होगा और यदि वे धातु परतों में फिट हों।

8. स्वच्छता स्थापनाएं- (1) जलयान में निम्नलिखित स्वच्छता स्थापनाएं प्रदान की जाएंगी,-

(क) कर्मिदल के प्रत्येक आठ सदस्यों के लिए एक शौचालय, जिसमें उचित संवातन हो;

(ख) कर्मिदल के प्रत्येक चार सदस्यों के लिए एक वॉशबेसिन; और

(ग) कर्मिदल के प्रत्येक आठ सदस्यों के लिए एक शॉवर या स्नान ।

9. रसोईघर- (1) ऐसे जलयानों के लिए, जिन पर व्यक्ति रहते हैं, भोजन तैयार करने के लिए एक रसोईघर प्रदान किया जाएगा:

परंतु बाहर से भोजन की आपूर्ति करने के लिए व्यवस्थाओं के साथ छोटी यात्राओं पर प्रचालन के लिए अभिहित जलयानों के लिए रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिक हीटर के साथ एक छोटा रसोई भंडार पर्याप्त होगा ।

(2) भंडारों की आनुक्रमिक पुनःपूर्ति के बीच व्यपगत संभावित अधिकतम अवधि और उन व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, जिनके लिए भोजन परोसा जाना है, को ध्यान में रखते हुए कर्मिदल के लिए शुष्क प्रावधानों के भंडारण के लिए स्थान और व्यवस्थाएं प्रदान की जाएंगी।

(3) खराब होने वाले सामानों को भंडारित करने के लिए साधन प्रदान किए जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त क्षमता के बॉक्स फ्रीजर और शीतकक्ष प्रदान कराए जाएंगे।

10. ताजे पानी और पेय जल की आपूर्ति- (1) जलयान में लगाए गए वाँश बेसिन, स्नानागारों और शॉवरों के लिए पर्याप्त ताजे पानी की आपूर्ति उपलब्ध होगी।

(2) कर्मिंदल के प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम 50 लीटर की क्षमता के टैंकों से प्रत्येक दिन के लिए आपूर्ति की जाएगी जिनके पानी की लगातार पुनःपूर्ति या अन्य समान रूप से कुशल साधनों के बीच व्यपगत होने की संभावना है।

(3) कर्मिंदल में व्यक्तियों की संख्या और पानी की लगातार पुनःपूर्ति और अन्य के बीच व्यपगत होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कर्मिंदल स्थान-सुविधा में पीने के पानी की आपूर्ति पर्याप्त क्षमता के टैंकों से उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस व्यवस्था के बदले अन्य कुशल साधनों को स्वीकार किया जा सकता है।

(4) पेयजल स्थापनाएं ऐसी होंगी कि,-

(क) उनकी आंतरिक सतहें ऐसी सामग्री से बनी हों, जो जंग का प्रतिरोध करती है और जो कोई शारीरिक जोखिम पैदा नहीं करती हैं;

(ख) वे ऐसे पाइप खण्डों से मुक्त होंगी जहां पानी का नियमित प्रवाह सुनिश्चित नहीं है; और

(ग) उन्हें अत्यधिक तापन के प्रति संरक्षित किया जाएगा।

11. वातानुकूलन और संवातन- (1) कर्मिंदल स्थान-सुविधा क्षेत्र पर्याप्त रूप से संवातित होंगे।

(2) यदि दरवाजे बंद हों, तो भी कर्मिंदल के स्थान-सुविधा के संलग्न हिस्सों को पर्याप्त रूप से संवातित करना होगा और संवातन सभी जलवायु परिस्थितियों में पर्याप्त वायु परिसंचरण सुनिश्चित करेगा।

(3) स्थान-सुविधा को इस तरह से डिजाइन और व्यवस्थित किया जाएगा कि जलयान के अन्य क्षेत्रों जैसे इंजन रूम या होल्ड से दुर्गंधयुक्त हवा के प्रवेश को रोका जा सके।

(4) जहां उपबंधित किया गया है, वहां केंद्रीयकृत प्रकार की वातानुकूलन प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा जिससे--

(क) 50 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के साथ 28 डिग्री सेल्सियस के संतोषजनक तापमान पर वायु को अनुरक्षित रखा जा सके, जब परिवेश का तापमान 70 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के साथ 35 डिग्री सेल्सियस हो;

(ख) किसी भी खान-पान कक्ष या मनोरंजन कक्ष में प्रति घंटे आठ वायु परिवर्तन और किसी अन्य कक्ष में छह वायु परिवर्तन सुनिश्चित किए जा सकें, यात्रा के दौरान किसी भी स्तर पर पुनःपरिचालित हवा की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

12. अन्य आवास स्थापनाएं- जलयान पर रहने वाले कर्मिंदल के प्रत्येक सदस्य के पास एक अलग बर्थ और ताले के साथ एक व्यक्तिगत वस्त्र लॉकर होगा।

13. पोतभीत और दिलहाबंदी का सन्निर्माण- (1) कर्मिंदल के स्थान-सुविधा के किसी भी हिस्से में या उसके भीतर सभी पोतभीत स्टील या अन्य उपयुक्त सामग्री से बने होंगे और यदि पोतभीत मौसम के संपर्क में आते हैं, तो वे जलरोधी सन्निर्माण के बने होंगे, और ऐसे पोतभीत में सभी द्वारोंको बंद करने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उन्हें मौसम के अनुकूल बनाया जा सके।

(2) यदि स्थान-सुविधा के भीतर विभाजन/पोतभीत स्टील से सन्निर्मित नहीं हैं, तो स्थान-सुविधा में प्रयुक्त दिलहाबंदी/छतगिरी किसी अनुमोदित गुणवत्ता की गैर-दहनशील सामग्री से बनी होगी।

(3) कोई भी पोतभीत, जो कर्मिंदल के स्थान-सुविधाके किसी भी हिस्से (मनोरंजन डेक स्थान से भिन्न) को किसी स्थान से अलग करता है, जिसका उपयोग निम्न के रूप में किया जाता है,--

(क) तेल ईंधन बनकर;

(ख) स्थोरा और मशीनरी स्थान;

(ग) लैम्प कक्ष या पेंट कक्ष;

- (घ) भण्डार कक्ष, जो कर्मिदल स्थान-सुविधाका भाग नहीं बनता है (शुष्क प्रावधान भण्डार कक्ष से भिन्न);
- (ङ) चैन लॉकर; या
- (च) जलबंध,

गैसरोधी होगा, और जहां कर्मिदल स्थान-सुविधा को संरक्षित करना आवश्यक है, जलरोधी होगा।

(3) कर्मिदल के स्थान-सुविधा में कोई अंदरूनी दिलहाबंदी सतह सहित ऐसी उपयुक्त सामग्री से सन्निर्मित होगी, जिसे आसानी से साफ किया जा सके।

(4) न तो पोत भीतका और नही भीतरी दिलहाबंदी का सन्निर्माण टंगड और खांचेदार अवसथ के साथ या इस तरह से या ऐसी सामग्री के साथ किया जाएगा, जिसमें कृमि पैदा होने की संभावना हो।

14. ऊपरी डेक और फर्श- (1) मौसम के संपर्क में आने वाला प्रत्येक ऊपरी डेक स्टील या समतुल्य सामग्री से सन्निर्मित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक डेक, जो कर्मिदल स्थान-सुविधामें फर्श का भाग बनता है, उचित रूप से सन्निर्मित किया जाएगा और इसमें एक सतह होगी, जो एक अच्छी तलहटी प्रदान करती है और आसानी से साफ रखने में सक्षम है।

(3) फर्श कवरिंग पानी के प्रति अभेद्य होगा और, यदि डेक तेल टैंक के शीर्ष पर स्थित है, तो इसका कवर तेल के प्रति अभेद्य होगा।

15. चिकित्सा कैबिनेट- प्रत्येक जलयान न्यूनतम रूप से कर्मिदल के उपयोग के लिए निम्नलिखित चिकित्सा उपकरणों को साथ लेकर चलेगा-

(क) एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, जीवनरक्षक नौका के लिए विहित से अन्यून;

(ख) घायलों की आसान निकासी के लिए एक स्ट्रेचर।

16. मच्छरों और चूहों से सुरक्षा-(1) रसोईघर, भंडारगृहों और खुले डेक पर मनोरंजन स्थलों से भिन्न कर्मिदल स्थान सुविधा-स्थान में मच्छरों के प्रवेश से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सुरक्षाजंग-रोधी तार या अन्य उपयुक्त सामग्री की स्क्रीनों के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो खुले डेक की ओर स्थित सभी पार्श्व वातायन, प्राकृतिक वेंटिलेटर, रोशनदान और दरवाजों पर लगाई जाएगी और व्यक्तिगत कर्मिदल के सदस्यों को मच्छरदानी प्रदान करके की जाएगी।

(3) प्रभावी मूषक-रोधी उपाय किए जाएंगे।

भाग 4

भाग 3 के अधीन आने वाले जलयानों से भिन्न जलयानों के लिए नियम

17. लागू होना- (1) इस भाग के उपबंध भाग 3 के अधीन आने वाले जलयानों से भिन्न श्रेणी क के समस्त यात्री जलयानों पर लागू होंगे।

(2) ये नियम श्रेणी ख यात्री पर लागू होंगे, जब तक इसे अभिहित प्राधिकारी द्वारा व्यवहारिक और युक्तियुक्त समझा जाए।

18. अधिकतम यात्री संख्या- जलयान पर अनुज्ञात यात्रियों की संख्या निम्नलिखित के आधार पर अवधारित की जाएगी-

(क) अंतर्देशीय जलमार्ग (डिजाइन और निर्माण) नियम, 2022में दी गई स्थायित्व अपेक्षाएं; और

(ख) नियम 20 दी गई क्लीयर डेक क्षेत्र अपेक्षाएं।

19. अनुमति योग्य यात्री सुविधास्थान- (1) जलरेखा/पोतभीत डेक के नीचे केवल एक यात्री डेक की ही अनुमति है और यात्री स्थानों में यह सम्मिलित नहीं है,-

- (क) शौचालय;
- (ख) डेकसीढ़ी/सीढ़ियां/निकासी के साधन और 750 मिमी से कम चौड़ा कोई यात्रीमार्ग ;
- (ग) सुरक्षा उपकरणों और अन्य जलयान संबंधी प्रचालनात्मक उपकरणों द्वारा स्थायी रूप से घेरे गए स्थान; और
- (घ) जलयान के सुरक्षित प्रचालन के लिए तैयार किए गए क्षेत्र, जैसे-
 - (i) मशीनरी/नौवहन/नौबंध;
 - (ii) रो-रोजलयानों पर प्रदत्त किए गए संलग्न यानवाहक स्थान;
 - (iii) खुले डेक यानवाहक स्थान।

(2) संलग्न स्थानों के लिए स्पष्ट क्षेत्र का आकलन करने में, टेबलों और स्थायी जुड़नारों द्वारा घेरे गए स्थान की कटौती की जाएगी।

(3) खुले डेक स्थानों के लिए स्पष्ट क्षेत्र का मापन उन बिंदुओं के बीच किया जाएगा, जिनके भीतर सर्वेक्षक यह मानता है कि क्षेत्र यात्रियों के सुरक्षित और उचित स्थान-सुविधा के लिए उपयुक्त है।

(4) स्पष्ट क्षेत्र से अभिप्रेत वह क्षेत्र है, जो उस क्षेत्र के बाद बचता है, जिसे पोतडेक मुख, रोशनदान, डेक की सीढ़ियां, केसिंग्स, वेंटिलेटर, नौपरिवाहक स्थान, सामान लॉकर तथा खुले डेक पर या लॉकरों में रखे गए जीवन रक्षक उपकरणों द्वारा अधिकृत होता है।

(5) जिन डेकों पर यात्रियों को बैठाया जाता है, वे जलयान के स्थायी ढांचे का हिस्सा होंगे और पर्याप्त मजबूती वाले होंगे।

परंतु यदि कोई डेक लकड़ी का बना है, तो उसे ठीक से रखा जाएगा और संदबंदकर दिया जाएगा और वह स्थान के एक किनारे से दूसरे तक लगातार होगा, जिसमें यात्रियों को ले जाया जाता है।

(6) ज्वलनशील तेलों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले लैंप रूम, पेंट रूम और स्थान की दरवाजों द्वारा यात्री स्थान-सुविधातक सीधी पहुंच नहीं होगी या वह ऐसी जगह पर स्थित नहीं होंगे, जिससे यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो सके और यात्री को तेल ईंधन बंकर से सटे किसी स्थान में नहीं रखा जाएगा, जब तक कि बंकर से उस स्थान को एक अतिरिक्त स्टील वाष्प प्रूफ पोतभीत द्वारा पृथक् न किया गया हो ताकि दो पोतभीत के बीच की जगह अच्छी तरह से हवादार और अभिगम्य हो।

(7) उपनियम (8) के प्रयोजन के लिए, यात्रीस्थान-सुविधा किसी तेल ईंधन स्थान के शीर्ष का निर्माण कर रहे डेक पर स्थित हो सकता है, यदि--

- (क) डेक तेलरोधी है;
- (ख) यात्री स्थान उपयुक्त रूप से संवातित है;
- (ग) यात्री स्थानों में कोई प्रवेश-छिद्रयातेल ईंधन स्थान की खुली जगह विद्यमान नहीं है; और
- (घ) यात्री स्थान का फर्श ऐसी सामग्री का और ऐसी मोटाई वाला है, जो इस प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(8) यात्री स्थान-सुविधा को गैस-रोधी स्टील पोतभीत और डेक के माध्यम से स्थोरा स्थान, भंडार कक्षों, लैंप रूम और पेंट रूम और ज्वलनशील तेलों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य स्थानों से अलग किया जाएगा।

20. स्पष्टडेक क्षेत्र- (1) जहां केवल बैठने की स्थान-सुविधा प्रदान की जाती है, यात्री स्थान के लिए अनुमत यात्रियों की संख्या का अवधारण मार्गों को छोड़कर वर्ग मीटर में स्पष्ट डेक क्षेत्र को 0.60 से विभाजित करके किया जाएगा।

(2) जहां यात्रियों को डेकहाउसों के शीर्ष तक पहुंचने की अनुमति है, वहां यात्रियों की संख्या का अवधारण मार्गों को छोड़कर वर्ग मीटर में स्पष्ट डेक क्षेत्र को 0.85 से विभाजित करके किया जाएगा।

21. केबिन बर्थों का प्रावधान- (1) जहां यात्रा की अवधि 24 घंटे से अधिक है, वहां समुचित शयन बर्थ प्रदान की जाएंगी।

(2) उपयुक्त रूप से सन्निर्मित और फिट की गई निश्चित बर्थों की संख्या उन यात्रियों की संख्या अवधारित करेगी, जिन्हें किसी भी जलयान में प्रदान किए गए केबिन श्रेणी के स्थान-सुविधा में ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(3) केबिन श्रेणी के यात्रियों को समायोजित करने वाली किसी केबिन में ऐसी आठ से अधिक बर्थ नहीं होंगी।

(4) किसी भी केबिन में दो पंक्तियों से अधिक बर्थ नहीं होंगी और प्रत्येक केबिन श्रेणी के यात्री के लिए कम से कम 3.35 वर्ग मीटर खाली जगह प्रदान की जाएगी और जहां बच्चों के लिए छोटी बर्थ फिट की जाती हैं, वहां आबंटित कुल स्थान ऐसी बर्थ के प्रत्येक जोड़े के लिए 3.5 वर्ग मीटर होगा।

22. शायिकाओं का प्रावधान- (1) जहां केबिन बर्थों के स्थान पर यात्रियों की स्थान-सुविधा के लिए शायिका स्थान प्रदान किए गए हैं, ऐसी शायिकाओं में निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा,--

(क) शायिका का आकार 1.90 मीटर लंबाई और 0.70 मीटर चौड़ाई से कम नहीं होना चाहिए;

(ख) प्रत्येक शायिका की यात्रीमार्ग तक प्रत्यक्ष पहुंच होगी और यात्रीमार्गों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि वे किसी बचाव मार्ग तक सुगम पहुंच प्रदान करते हों;

(ग) यात्रीमार्गों की चौड़ाई 0.70 मीटर से कम नहीं होगी;

(घ) शायिकाएं एकल और युगल पंक्तियों में फिट की जा सकेंगी और निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात्-

(i) डेक और निचली शायिका के आधार के बीच की दूरी 0.45 मीटर से कम नहीं होगी;

(ii) निचली शायिका के आधार और ऊपरी शायिका के आधार के बीच की दूरी 0.90 मीटर से कम नहीं होगी;

(iii) ऊपरी शायिका के आधार और किसी ऊपरी बाधा की भीतरी ओर के बीच की दूरी 0.90 मीटर से कम नहीं होगी; और

(iv) ऊपरी शायिका तक मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

(ङ) शायिकाओं को अनुवात पटल या अनुवात छड़ों के साथ जोड़ा जाएगा और जहां शायिकाएं साथ-साथ फिट की गई हैं, वहां उनके बीच दूरी के उपयुक्त साधन प्रदान कराए जाएंगे;

(च) शायिकाएं और उनकी फिटिंग धातु की बनी होगी और अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रकार की होगी;

(छ) कोई शायिका किसी भी दरवाजे की खुली जगह के 0.90 मीटर के भीतर नहीं लगाई जाएगी, सिवाय वहां, जहां ऐसी खुली जगह अभिहित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ट्रंक की गई हो या उन्हें अन्यथा संरक्षित किया गया हो;

(ज) कोई शायिका जलयान के किनारे पर ढांचों, स्पैरिंग या अस्तर के अग्रभाग से 0.60 मीटर के भीतर नहीं लगाई जाएगी;

(झ) किसी भी सीढ़ी या नसैनी-मार्ग, हाथ-मुंह धोने के स्थान, मूत्रालय या बैटरी या शौचालय या किसी पानी के नल या अग्नि हाइड्रेंट के प्रवेश द्वार के 0.75 मीटर के भीतर कोई शायिका नहीं लगाई जाएगी; और

(ञ) कोई भी शायिका उस स्थान या उसके किसी भाग में नहीं लगाई जाएगी, जो अभिहित प्राधिकारी की राय में शायिका श्रेणी के यात्रियों के स्थान सुविधा के लिए अनुपयुक्त हो।

(2) किसी जलयान में प्रदान कराई गई शायिकाओं की कुल संख्या इस प्रकार होगी कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी स्थान पर ले जाने वाले यात्रियों की संख्या 3.06 घन मीटर से विभाजित करने पर घन मीटर में उस स्थान के सकल आयतन से अधिक न हो।

23. यात्री सीटें- (1) जहां यात्रा 24 घंटे से अधिक की नहीं है, यात्रियों को उन स्थानों पर समायोजित किया जा सकता है, जहां केवल बैठने की स्थान-सुविधा ही प्रदान कराई गई है।

(2) उपनियम (3) और उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक यात्री को सीट प्रदान की जाएगी।

(3) 30 मिनट या उससे कम की छोटी यात्राओं पर चलने वाले अंतर्देशीय जलयानों से केवल 50% यात्रियों के बैठने की अपेक्षा की जाती है, यदि गति और समस्त सामान्य प्रचालन में त्वरण, खड़े होने में कठिनाई उत्पन्न न करें।

(4) सभी सीटों और फर्नीचर को सामान्य रूप से फिक्स किया जाएगा और किसी भी चल फर्नीचर की अनुमति केवल तभी दी जा सकेगी, जब वह खतरा ना बने और आपात स्थिति में बचाव में बाधा न उत्पन्न करे।

स्पष्टीकरण-इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, बैठने की व्यवस्था वैयक्तिक सीट या बेंच प्रकार की सीट के रूप में हो सकती है।

(5) यदि किसी विशेष प्रचालन या कार्य को समायोजित करने के लिए सीटों को हटाया जाता है, तो यात्रियों की संख्या को तदनुसार कम किया जाएगा।

24. न्यूनतम सीट आयाम - (1) न्यूनतम 750 मिमी की चौड़ाई प्रदान किए जाने के साथ, अभिगमन, एकत्रण और निकास के लिए उपयुक्त स्पष्ट स्थान की अनुमति दी जाएगी।

(2) बैठे हुए यात्रियों की स्थान सुविधा के लिए प्रत्येक सीट के सामने 450 मिमी की क्षैतिज रूप से मापित लम्बाई की अनुमति दी जाएगी।

(3) जब अभिगमन के लिए किसी सीट के सामने किसी स्थान की आवश्यकता होती है, तो अभिगमन की चौड़ाई के मापन के समय सीट के सामने के 230 मिमी के भीतर के स्थान को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(4) किसी सीट के बैकरेस्ट के किसी भाग और उसके सामने वाली सीट के बैकरेस्ट के बीच दूरी 1600 मिमी से अन्यून होगी।

(5) किसी सीट के बैकरेस्ट के सामने कम से कम 680 मिमी का एक स्पष्ट स्थान होगा, जिसका मापन प्रत्येक सीट के केंद्र से किया गया होगा और उस सीट के किसी भी हिस्से के सामने कम से कम 310 मिमी का एक स्पष्ट स्थान होगा।

(6) एक किसी अनुप्रस्थ सीट के सामने के किसी भी हिस्से और उसके सामने वाली किसी अन्य सीट के किसी हिस्से के बीच में कम से कम 620 मिमी का एक स्पष्ट स्थान होगा।

(7) बेंच सीटिंग द्वारा समायोजित यात्रियों की संख्या प्रत्येक निरंतर स्थिर सीट की मीटर में लंबाई को 0.45 से विभाजित करके निकाली जाती है, यह मापन सीटों के भीतरी किनारे के साथ किया जा रहा है और बैठने के लिए उत्प्लावक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है।

25. यात्री स्थान सुविधा के लिए अनुपयुक्त स्थान- (1) यात्रियों के लिए स्थान सुविधा निम्नलिखित स्थानों में से किसी में भी प्रदान नहीं की जाएगी, अर्थात्-

(क) कोई डेक, जो जलरेखा/पोतभीत डेक से तत्काल निम्न वाले डेक से नीचे है;

(ख) डेक के बीच का कोई भाग, जहां स्पष्ट हेडरूम 1.90 मीटर से कम है; और

(ग) संघट्ट पोतभीत का अग्रभाग या उसका अग्रगामी विस्तार;

(2) वर्षा के मौसम के दौरान, मौसम डेक पर किसी भी स्थान का मापन यात्री स्थान सुविधा के लिए उपलब्ध स्थान के रूप में नहीं किया जाएगा, सिवाए इसके कि उसका मापन वातन स्थान के रूप में ही किया जा सकेगा।

26. प्रकाश-व्यवस्था और संवातन- (1) समस्त यात्री स्थान सुविधा स्थल दिन और रात, दोनों ही के दौरान पर्याप्त रूप से संवातित और प्रकाशमय होंगे।

(2) रसोई-भंडार, वस्त्र सुखाने के कक्ष, लॉकर, भंडार कक्ष, स्वच्छता स्थान सुविधा, यात्री मार्गों से भिन्न, स्थान सुविधा का प्रत्येक भाग प्राकृतिक प्रकाश से उचित रूप से प्रकाशमान होगा।

(3) जहां भी संभव हो, प्राकृतिक प्रकाश-व्यवस्था प्रदान की जाए और यदि जलयान में किसी स्थान पर, समुचित प्राकृतिक प्रकाश-व्यवस्था प्रदान करना अव्यावहारिक है, तो ऐसी प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उस स्थान पर पर्याप्त विद्युत प्रकाश-व्यवस्था हमेशा उपलब्ध कराई गई है।

(4) प्रत्येक नए यात्री जलयान में यात्री स्थान सुविधा के संलग्न हिस्सों को एक ऐसी प्रणाली द्वारा संवातित किया जाएगा, जो उसके भीतर हवा को शुद्धता की स्थिति में बनाए रखेगी, जो यात्रियों के स्वास्थ्य और आराम के लिए पर्याप्त होगी और ऐसी प्रणाली इस प्रकार नियंत्रित होने में सक्षम होगी, जिससे उस मौसम और जलवायु की सभी परिस्थितियों में हवा की आवाजाही की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे उन यात्राओं के दौरान उस जलयान के गुजरने की संभावना है, जिन पर उसे ले जाए जाने का आशय है और यह किसी पार्श्व वातायन, रोशनदान, सीढ़ी, दरवाजे या छिद्र के लिए अतिरिक्त होगा, जिनका आशय केवल संवातन ही के लिए नहीं हैं।

(5) प्रत्येक यात्री जलयान में, न्यूनतम के रूप में, स्थान सुविधा के संलग्न स्थानों में पर्याप्त पंखे उपलब्ध कराए जाएंगे।

(6) जहां वातानुकूलन प्रणाली प्रदान की गई है, चाहे वह केंद्रीयकृत प्रकार की हो या वैयक्तिक यूनिट प्रकार की, इसे इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि यह,—

(क) वायु का तापमान 50 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के साथ 28° सेल्सियस के संतोषजनक स्तर पर बनाए रखें, जब परिवेश का तापमान 70 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के साथ 35° सेल्सियस हो;

(ख) किसी खान-पान कक्ष या मनोरंजन कक्ष में प्रति घंटे आठ वायु परिवर्तन और किसी अन्य कक्ष में छह वायु परिवर्तन सुनिश्चित करे, यात्रा के दौरान किसी भी स्तर पर पुनः परिचालित वायु की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

27. मच्छरों और चूहों से सुरक्षा- (1) रसोईघर, भंडारगृहों और खुले डेक पर मनोरंजन स्थलों के अलावा यात्री स्थान सुविधा स्थानों में मच्छरों के प्रवेश से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सुरक्षाजंग-रोधीतार या अन्य उपयुक्त सामग्री की स्क्रीनों के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो खुले डेक की ओर स्थित सभी पार्श्व वातायन, प्राकृतिक वेंटिलेटर, रोशनदान और दरवाजों पर लगाई जाएगी।

(3) स्थान सुविधा स्थानों में प्रभावी मूषक-रोधी उपाय किए जाएंगे।

28. वातनस्थान- जहां यात्रा की अवधि 4 घंटे से अधिक है, सभी यात्रियों के लिए 0.5 वर्ग मीटर प्रति यात्री के पैमाने पर वातन स्थान प्रदान किया जाएगा और ऐसे वातन स्थान को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा।

29. स्थानों का चिह्नांकन- यात्री स्थान सुविधा के लिए आशयित किसी स्थान को उस स्थान के प्रवेश पर या उसके निकट स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा, जिसमें ऐसे यात्रियों की संख्या को दर्शाया गया हो, जिन्हें बैठाने के लिए वह स्थान प्रमाणित किया गया है।

30. चिकित्सा स्टोरों का प्रावधान- 100 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले और 24 घंटे से अधिक की यात्राओं पर जाने वाले प्रत्येक यात्री जलयान में अभिहित प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दवाएं, चिकित्सा सामान कीटाणुनाशक और सर्जिकल उपकरण रखे जाएंगे।

31. शौचालय सुविधाएं- (1) केवल बैठने की जगह रखने वाले जलयानों के लिए, उसमें बैठे सभी यात्रियों के उपयोग के लिए शौचालय की सुविधा प्रदान की जाएगी, और शौचालयों की संख्या निम्नानुसार होगी,—

(क) 50 यात्रियों तक - 1 वाटर क्लोसेट (डब्ल्यूसी);

(ख) 100 यात्रियों तक - 2 डब्ल्यूसी; और

(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 100 यात्रियों या उसके भाग के लिए - 2 डब्ल्यूसी या 1 डब्ल्यूसी और 1 मूत्रालय।

(2) पुरुष और महिला यात्रियों के अनन्य उपयोग के लिए अलग-अलग शौचालयों को अलग-अलग रखा जाएगा और उनमें पूरी तरह से अलग प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे और सभी शौचालयों को यह इंगित करने के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा कि वे पुरुष यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित हैं या महिला यात्रियों के लिए।

(3) शयन स्थान सुविधा युक्त जलयानों के लिए, पहले सौ यात्रियों के लिए चार शौचालय और प्रत्येक अतिरिक्त पचास यात्रियों के लिए दो शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

(4) उपनियम (1) में उपबंधित अपेक्षाओं में खुले अंतर्देशीय जलयानों, और 30 मिनट से कम अवधि की यात्राओं वाले जलयानों में ढील दी जा सकेगी, यदि डब्ल्यूसी आरोहण/अवरोहण स्थानों के आसपास में प्रदान किए गए हों।

(4) सभी स्वच्छता संबंधी सुविधाएं पर्याप्त रूप से संवातित होंगी।

32. हाथ-मुंह धोने के स्थान और स्नानागार- (1) ऐसी यात्रा करने वाले यात्री जलयानों में, जिसकी अवधि 48 घंटे से अधिक है, यात्रियों के अनन्य उपयोग के लिए हाथ-मुंह धोने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात्-

(क) प्रत्येक 25 यात्रियों के लिए बहते पानी के साथ एक वॉश-बेसिन या सिंक; और

(ख) प्रत्येक 25 यात्रियों या उसके भाग के लिए स्नान के लिए एक नल या शॉवर और कम-से-कम एक नल या शॉवर बहते गर्म पानी की आपूर्ति के लिए भी लगाया जाएगा और उसे इस तरह से प्रचालित किया जाएगा ताकि त्वचा को जलने से बचा जा सके।

(2) ऐसी यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री जलयान में, जिसकी अवधि 48 घंटे से कम है, लेकिन 24 घंटे से कम नहीं है, उपनियम (1) में विहित सुविधाओं के आधे पर वॉश-बेसिन, नल या शॉवर प्रदान किया जाएगा।

(3) 24 घंटे से अनधिक कीयात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री जलयान में, पुरुष यात्रियों के लिए एक और महिला यात्रियों के लिए एक हाथ-मुंह धोने का स्थान प्रदान किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक वॉश-बेसिन या सिंक बहते ठंडे ताजे पानी के साथ कार्य करेगा।

(4) जहां यात्राएं 12 घंटे की अवधि से अधिक हो जाती हैं, प्रत्येक हाथ-मुंह धोने के स्थान पर ताजा बहता पानी प्रदान किया जाएगा।

(5) कम-से-कम एक हाथ-मुंह धोने का स्थान महिला यात्रियों के अनन्य उपयोग के लिए अलग से रखा जाएगा।

33. भोजन, ईंधन और जल की आपूर्ति - (1) 6 घंटे से अधिक की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक यात्री जलयान में यात्रियों के लिए भोजन, पेय-पदार्थ और पीने के पानी के लिए प्रावधान होगा।

(2) किसी भी स्थिति में, यात्री को जलयान में भोजन पकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) यात्रियों को सभी प्रयोजनों के लिए प्रतिदिन 22.5 लीटर से अन्यून ताजा पानी की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें पीने के लिए आवश्यक मात्रा में भी सम्मिलित है।

(4) ताजा पानी डबल बॉटम टैंकों में या डबल बॉटम्स के ऊपर लगे अन्य टैंकों या इस प्रयोजन के लिए लगे किन्हीं अन्य टैंकों में ले जाया जा सकता है।

(5) ताजे पानी की सभी टंकियों को 12 महीने से अनधिक के अंतराल पर साफ किया जाएगा, सीमेंट वॉश की जाएगी या यदि बिटुमिनस प्लास्टिक या अन्य प्रॉपराइटरी कम्पोजीशन के साथ कोट की गई हैं, जहां आवश्यक हो, फिर से कोट किया जाएगा और संवातित और कीटाणुरहित किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, टैंकों को छह मास के अंतराल पर फिर से भरने से पहले अच्छी तरह से खाली किया जाएगा, उन्हें पानी से साफ किया जाएगा और कीटाणुरहित बनाया जाएगा।

(6) उपनियम (5) के अधीन यथाउपबंधित कीटाणुशोधन, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी या अभिहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

(7) यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक डेक पर, यात्री स्थानों में उपयुक्त रूप से वितरित ठंडे, ताजा और पीनेयोग्य पानी की नियमित आपूर्ति के लिए कुशल साधन प्रदान किए जाएंगे।

34. गार्ड रेल और धातु स्तंभ--(1) यात्रियों को ले जाने वाले सभी यात्री जलयानों पर उस प्रत्येक डेक पर अड़वाल या गार्ड रेल प्रदान किया जाएगा, जिस तक यात्रियों की पहुंच है।

- (2) ऐसे अड़वाल या गार्ड रेल 100 सेंटीमीटर से कम ऊंचे नहीं होंगे, जिनका मापन डेक के शीर्ष से सबसे ऊपर की रेल के शीर्ष तक मापा जाएगा और जब तक मजबूत जाल प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक रेल 230 मिलीमीटर से अधिक अलग नहीं होगी।
- (3) जहां अड़वाल नहीं लगाए गए हैं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए मुक्त किए गए पत्तनों पर उपयुक्त ग्रिड लगाए जाएंगे।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

G.S.R. 423(E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Crew and Passenger Accommodation) Rules, 2022 was published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways *vide* number G.S.R. 145 (E) dated the 22nd February, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 22nd February, 2022 inviting the objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 22nd February, 2022;

And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of Section 7 and Section 80 read with clauses (zv) and (zza) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

PART – I

PRELIMINARY

1. Short Title Commencement. - (1) These rules may be called the Inland Vessels (Crew and Passenger Accommodation) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) “Act” means the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021);

(b) “existing vessel” or “existing inland vessel” means any inland vessel that falls within the ambit of the definition provided under clause (q) of section 3 of the Act;

(c) “major conversion or modification” means any of the following -

(i) change in gross tonnage of the vessel by more than ten per cent.;

(ii) change of vessel type; and

(iii) change of propulsion system/ main engines or type of fuel;

(d) “new inland vessel” means any inland vessel whose keel is laid or which is at a similar stage of construction on or after the date of coming in to force of the rules;

(e) “gross tonnage (GT)” of a vessel is the gross tonnage calculated as per the provisions of the International Tonnage Convention, 1969;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

PART-II
CLASSIFICATION AND COMPLIANCE

3. Categorisation of inland vessels. - For the purpose of these rules, inland vessels shall be classified in the following categories -

(A) Category – A. - The vessels which falling in this category are the decked vessels of any of the following types-

- (a) vessels, other than houseboats, that are more than 24 metres in length and houseboats of more than 30 metres in length;
- (b) vessels that carry more than 50 passengers on board;
- (c) all vessels equipped for towing other vessels, having a bollard pull capacity exceeding 10 tonnes;
- (d) vessels designed and constructed to carry petroleum goods, chemicals or liquefied gases in bulk as cargo;
- (e) vessels carrying dangerous goods; and
- (f) vessels of 300 gross tonnage and above.

(B) Category-B.- vessels not covered under category A or category C.

(C) Category-C.- vessels of less than 10 metres in length.

4. Compliance of the requirements.- (1) All existing inland vessels shall comply with the requirements existing prior to coming into force of these rules;

(2) The owner and master of the new inland vessels, shall ensure that the vessel is constructed, maintained and operated as per the provisions of these rules.

(3) No new inland vessel shall be issued with the certificate of survey under the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022, unless such vessel complies with the standards for the accommodation of crew and passengers under these rules.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (3), the State Government may apply additional requirements to any category of vessels.

(5) State Governments may exempt any inland vessel that embodies features of a novel kind from any of the provisions of these rules, the application of which might seriously impede research into development of such features and their incorporation in vessels.

PART-III
RULES FOR VESSELS OF 300 GROSS TONNAGE AND ABOVE

5. Application.- This part shall apply to all “Category-A” vessels of 300 GT and above.

6. General requirements of accommodation.- (1) Inland vessels shall have accommodation for the persons lodging habitually on board and for the minimum crew.

(2) Accommodation shall be so designed, arranged and fitted out as meet the health, safety and comfort needs of those on board and the accommodation shall be of safe, and easily accessible and adequately insulated against heat and cold.

(3) For the purposes of sub-rule (2), the crew accommodation and the means of access thereto and egress there from shall be so arranged and constructed to ensure-

- (a) protection of the crew against injury to the practicable extent;
- (b) protection of the crew accommodation against unfavourable environmental conditions;
- (c) exclusion from the crew accommodation of effluvia originating in other spaces in the vessel; and
- (d) exclusion from the crew accommodation, to the practicable extent, of noise originating in other spaces in the vessel.

7. Special design requirements for accommodation.- (1) Every part of the crew accommodation, other than pantries, laundries drying rooms, lockers, storerooms sanitary accommodation, passageways, offices, shall be properly lighted by natural light and the community living quarters shall, as far as possible, provide a way out:

Provided that in any space in the vessel it is impracticable to provide proper natural lighting, such lighting shall not be required, if adequate electric lighting is always available in that space.

- (2) Mess rooms and sleeping cabins shall have at least two exits which are as far apart from each other as possible and serve as escape routes and one of the exits may be designed as an emergency exit.
- (3) The requirement of exits under sub-rule(2) shall not apply to rooms with an exit leading directly onto the deck or into a corridor which serves as an escape route and large rooms, such as dormitories shall be provided with two exits and emergency exits, which may include skylights and windows, shall have a clear opening of at least 0.36 square metre and a shortest side not less than 0.50 metre and permit rapid evacuation in an emergency.
- (4) The insulation and cladding of escape routes shall be made of flame-retardant materials and the usability of escape routes shall be guaranteed at all times by appropriate means such as ladders or separately attached rungs.
- (5) The floor area of mess rooms shall be not less than 0.7 square meter per person and the number of persons to be taken into account for this may be limited to 70% of the total crew on board.
- (6) The floor area of sleeping cabins shall be at least 2.5 square metres per person in general and for sleeping cabins accommodating more than one person, the minimum floor area may be reduced to 1.75 square metres per person.
- (7) Doors shall have an opening with a clear width of at least 0.60 metre and the prescribed height may be achieved by means of sliding or hinged covers or flaps.
- (8) Doors shall generally open to the outside except the cabin doors opening into a corridor and it shall be possible to open them from either side.
- (9) Stairways shall be permanently fixed and shall be designed that -
- (a) they are at least 0.60 metre wide;
 - (b) the tread is at least 0.15 metre deep;
 - (c) the steps are non-slip; and
 - (d) stairways with more than three steps are fitted with at least one handrail or handle.
- (10) Pipes carrying dangerous gases or liquids, and particularly those under such a high pressure that a leak could pose a danger to persons, shall not be located in the accommodation spaces or in corridors leading to the accommodation spaces: provided that this sub-rule shall not apply to steam pipes and hydraulic system pipes and provided they are fitted in metal sleeves.

8. Sanitary Installations.- (1) The following sanitary installations shall be provided on vessels-

- (a) one toilet per eight crew members which shall have proper ventilation;
- (b) one washbasin per four crew members; and
- (c) one shower or bath per eight crew members.

9. Galleys.- (1) For vessels having persons living onboard, a galley shall be provided for the preparation of food: provided that a small pantry with refrigerator and electric heater may be sufficient for vessels designated for operation on short voyages with arrangements for supply of food from outside.

- (2) Space and arrangements shall be provided for the storage of dry provisions for the crew having regard to the maximum period likely to elapse between successive replenishments of stores and to the maximum number of persons for whom food is to be served.
- (3) Means shall be provided to store perishable provisions and box freezers and cold rooms of adequate capacity shall be provided for this purpose.

10. Supply of fresh water and drinking water.- (1) There shall be available a supply of fresh water sufficient for the wash basins, baths and showers fitted in the vessel.

- (2) The supply shall be provided from tanks of a capacity of at least 50 litres for each member of the crew for each day likely to elapse between successive replenishments of the water or by other equally efficient means.
- (3) There shall be supply of drinking water in the crew accommodation from tanks of an adequate capacity, having due regard to the number of persons in the crew and time likely to elapse between successive replenishments of the water and other efficient means may be accepted in lieu of this arrangement.
- (4) Potable water installations shall-
- (a) be made of a material on their inner surfaces which resists corrosion and poses no physiological danger;
 - (b) be free of pipe sections where a regular flow of water is not guaranteed; and
 - (c) be protected against excessive heating.

11. Air Conditioning and ventilation.- (1) Crew accommodation areas shall be adequately ventilated.

(2) The enclosed parts of crew accommodation shall be ventilated adequately even when the doors are closed and the ventilation shall ensure adequate air circulation in all climatic conditions.

(3) The accommodation shall be so designed and arranged to prevent the entry of foul air from other areas of the vessel such as engine rooms or holds.

(4) Where provided, the air conditioning system, of a centralized type shall be so designed to—

- (a) maintain the air at a satisfactory temperature of 28°C with 50 per cent. relative humidity when ambient temperature is 35°C with 70 per cent. relative humidity;
- (b) ensure eight air changes per hour in any mess room or recreation room and six air changes in any other room, the amount of re-circulated air not exceeding 50 per cent. at any stage, while on voyage.

12. Other accommodation installations.- Each crew member living on board shall have an individual berth and an individual clothes locker fitted with a lock.

13. Construction of bulkheads and panelling.- (1) All bulkheads enclosing or within any part of the crew accommodation shall be properly constructed of steel or other suitable material and if the bulkheads are exposed to the weather, they shall be of watertight construction and means of closure shall be provided for all opening in such bulkheads so as to enable them to be made weather tight.

(2) If the partitions or bulkheads within the accommodation spaces are not constructed of steel then the paneling/ceiling used in the accommodation shall be made of non-combustible material of an approved quality.

(3) Any bulkhead which separates any part of the crew accommodation (other than a recreation deck space) from a space used as –

- (a) an oil fuel bunker;
- (b) a cargo or machinery space;
- (c) a lamp room or paint room;
- (d) a store room not forming part of the crew accommodation (other than a dry provision store room);
- (e) a chain locker; or
- (f) a cofferdam;

shall be gas tight, and shall be water tight to protect the crew accommodation.

(4) Any inside panelling in the crew accommodation shall be constructed of a suitable material with a surface, which can be easily kept clean.

(5) Neither bulkheads nor inside panelling shall be constructed with tongued and grooved boarding or in a manner or with material likely to harbour vermin.

14. Overhead decks and flooring.- (1) Every overhead deck exposed to the weather shall be constructed of steel or equivalent material.

(2) Every deck which forms the floor in the crew accommodation shall be properly constructed and shall have a surface which provides a good foothold and is capable of being easily kept clean.

(3) The floor covering shall be impervious to water and if the deck is situated on the top of oil tank, the covering shall be impervious to oil.

15. Medical cabinet.- Every vessel shall carry the following medical appliances for the use of crew-

- (a) one number of first aid box not less than that prescribed for a life boat; and
- (b) one number of stretcher for easy evacuation of casualties.

16. Protection from mosquitoes and rats.- (1) The crew accommodation, other than galleys, storerooms and recreation spaces on the open deck, shall be provided with protection against the admission of mosquitoes.

(2) The protection referred to in sub-rule (1) shall be provided by means of screens of rust proof wire or other suitable material which shall be fitted to all side scuttles, natural ventilators, skylights and doors leading to the open deck and by providing mosquito nets to individual crew members.

(3) Effective rat proofing measures are to be provided.

PART-IV**RULES FOR VESSELS OTHER THAN THOSE COVERED UNDER PART-III**

17. Application.- (1) The provisions of this part shall apply to all Category A passenger vessels other than those covered under Part-III.

(2) These rules may be applied to Category B passenger vessels, in so far as they are considered practicable and reasonable by the Designated Authority.

18. Maximum passenger numbers.- The number of passengers allowed onboard shall be determined on the basis of the-

- (a) stability requirements given in Inland Waterways (Design and Construction Rules), 2022; and
- (b) clear deck area requirements under Rule 20.

19. Allowable Passenger Spaces.- (1) Only one passenger deck is permitted below the waterline and bulkhead deck and passenger spaces do not include-

- (a) toilets
- (b) companion ways or stairways or means of escape and any passageway less than 750 millimetre wide;
- (c) areas permanently occupied by safety equipment and other vessel related to operational equipment; and
- (d) Areas designed for the safe operation of the vessel such as-
 - (i) Machinery or navigation or mooring;
 - (ii) enclosed vehicle carrying spaces provided on Ro-Ro vessels; and
 - (iii) open deck vehicle carrying spaces.

(2) In assessing the clear area for enclosed spaces, the space occupied by tables and permanent fittings shall be excluded.

(3) For open deck spaces, the clear area shall be measured between points within which the surveyor considers the area fit for the safe and proper accommodation of passengers.

(4) Clear area means the area which remains after they are occupied by hatchways, skylights, companionways, casings, ventilators, navigating space, luggage lockers and lifesaving appliances carried on the open deck and lockers.

(5) The decks on which passengers are accommodated shall form part of the permanent structure of the vessel and shall be of adequate strength:

Provided that if any deck is constructed of wood, it shall be properly laid and caulked and shall be continuous from side to side of the space in which the passengers are carried.

(6) Lamp rooms, paint rooms and spaces used for the storage of inflammable oils shall not have a direct access to the passenger accommodation by doors or situated as to constitute a danger of passengers and passengers shall not be accommodated in a space adjoining an oil fuel bunker unless the space is separated from the bunker by an additional steel vapour proof bulkhead so that the space between the two bulkheads is well ventilated and accessible.

(7) For the purpose of sub-rule (8) passenger accommodation may be situated on a deck forming the crown of an oil fuel space if-

- (a) the deck is oil-tight;
- (b) passenger space is well ventilated;
- (c) no manhole or other opening to oil fuel space exists in passenger spaces; and
- (d) flooring of passenger space is of a material and of a thickness approved by the Designated Authority for the purpose.

(8) Passenger accommodation shall be separated from cargo spaces, store rooms, lamp rooms and paint rooms and other space used for storage of inflammable oils by means of gas-tight steel bulkheads and decks.

20. Clear deck areas.- (1) Where only seating accommodation is provided, the number of passengers allowed for a passenger space shall be determined by dividing the clear area excluding passages in square metres by 0.60.

(2) Where passengers are allowed access to the top of deckhouses, the number of passengers allowed shall be determined by dividing the clear deck area excluding passages in square metres by 0.85.

21. Provision of Cabin Berths.- (1) Where the duration of voyage is more than 24 hours, proper sleeping berths shall be provided.

(2) The number of fixed berths properly constructed and fitted shall determine the number of passengers allowed to be carried in cabin class accommodation provided in any vessel.

(3) No cabin accommodating cabin class passengers shall contain more than eight such berths.

(4) There shall not be more than two tiers of berths in any cabin and there shall be provided not less than 3.35 square metres of clear space for each cabin class passenger and where small berths are fitted for children, the total space allocated shall be 3.5 square metre for every pair of such berths.

22. Provision of bunks.- (1) Where bunk spaces are provided for the accommodation of passengers, in lieu of cabin berths, such bunks shall comply with the following requirements-

(a) the size of a bunk shall not be less than 1.90 meters long and 0.70 meters wide;

(b) every bunk shall give direct access to a passage-way and the passage-ways shall be so arranged to give ready access to an escape route;

(c) the width of passage-ways shall be not less than 0.70 metre;

(d) bunks may be fitted in single or double tiers and the following requirements shall be complied with, namely:-

(i) the distance between the deck and the base of the lower bunk shall not be less than 0.45 meter;

(ii) the distance between the base of the lower bunk and the base of the upper bunk shall not be less than 0.90 meter;

(iii) the distance between the base of the upper bunk and the underside of any overhead obstruction shall not be less than 0.90 meter; and

(iv) suitable means shall be provided with access to upper bunks.

(e) bunks shall be fitted with lee boards or lee rails and where bunks are fitted side by side suitable means of separation shall be provided;

(f) bunks and their fittings shall be constructed of metal and shall be of the type approved by the Designated authority;

(g) no bunk shall be fitted within 0.90 metre of any hatch opening except where such opening are trunked or otherwise protected to the satisfaction of the Designated Authority.

(h) no bunk shall be fitted within 0.60 metre of the face of the frames, sparring or linings at a vessel's side;

(i) no bunk shall be fitted within 0.75 metre of the entrance of any stairway or ladder way, wash place, lavatory or battery or latrines or of any water tap or fire hydrant; and

(j) no bunk shall be fitted in space or part there of which in the opinion of the Designated Authority, is unsuitable for accommodation of bunk class passengers.

(2) Total number of bunks provided in any vessel shall be such to ensure that the number of a passengers carried in a space does not exceed the gross volume of that space in cubic metres divided by 3.06 cubic metres.

23. Passenger seating. - (1) Where the voyage is of not more than 24 hours duration, passengers may be accommodated in spaces where only seating accommodation is provided.

(2) Every passenger shall be provided with a seat, subject to the sub-rules (3) and (4).

(3) Inland vessels operating on short voyages of 30 minutes or less need to provide seating for 50 % of passengers, provided the motions and accelerations in all normal operation would not make standing difficult.

(4) All seating and furniture shall normally be fixed and any moveable furniture may be permitted, provided that the same shall not be a hazard or impede escape in the event of an emergency.

Explanation. - For the purpose of this sub-rule, seating may be individual seat or bench type seating.

(5) If seating is removed to accommodate a specific operation or function, the number of passengers shall be reduced accordingly.

24. Minimum seat dimensions. - (1) Suitable clear space shall be allowed for access, assembly and escape with a minimum width of 750 millimetres being provided.

- (2) A length of 450 millimetres measured horizontally along the front of each seat shall be allowed for the accommodation of seated passengers.
- (3) When any space in front of a seat is required for access, the space within 230 millimetres of the front of the seat shall not be taken into account when measuring the width of the access.
- (4) The distance between any part of the back rest of any seat and the back rest of the seat facing it, shall not be less than 1600 millimetres.
- (5) There shall be a clear space of at least 680 millimetres in front of the backrest of any seat measured from the centre of each seat and a clear space of at least 310 millimetres in front of any part of that seat.
- (6) There shall be a clear space of at least 620 millimetres between any part of the front of a transverse seat, and any part of any other seat which faces it.
- (7) The number of passengers accommodated by bench seating shall be by dividing the length in metres of each continuous fixed seat by 0.45 and the measurements being taken along the inner edge of the seats and buoyant apparatus may be used for seating.

25. Spaces unfit for passenger accommodation.- (1) Accommodation for passengers shall not be provided in any of the following spaces, namely-

- (a) any deck lower than the one immediately below the waterline or bulkhead deck;
- (b) any part of the between deck where the clear headroom is less than 1.90 metres; and
- (c) frontside of the collision bulkhead or the upward extension thereof.

(2) During rainy season, no space on the weather deck shall be measured as being available for passenger accommodation except that it may be measured as airing space.

26. Lighting and Ventilation.- (1) All passenger accommodation spaces shall be efficiently ventilated and lighted during both day and night.

(2) Every part of the accommodation, other than pantries, laundries drying rooms, lockers, storerooms sanitary accommodation, passageways, shall be properly lighted by natural light.

(3) Wherever possible, natural lighting shall be provided and if in any space in the vessel, it is impracticable to provide proper natural lighting, such lighting shall not be required if adequate electric lighting is always available in that space.

(4) In every new passenger vessel the enclosed parts of the passenger accommodation shall be ventilated by a system, which shall maintain the air therein in a state of purity adequate for the health and comfort of the passengers and such system shall be capable of being so controlled as to ensure a sufficiency of air movement under all conditions of weather and climate to which the vessel is likely to be subjected, during the voyages on which she is intended to be engaged and shall be additional to any side scuttles, skylights, companions, doors or other apertures not intended solely for ventilation.

(5) In every passenger vessel, as a minimum, adequate fans shall be provided in the enclosed spaces of the accommodation.

(6) Where the air conditioning system is provided, whether of a centralized type or individual unit type, the same shall be designed to-

- (a) maintain the air at a satisfactory temperature of 28° with 50 per cent. relative humidity when ambient temperature is 35°C with 70 per cent. relative humidity; and
- (b) ensure eight air changes per hour in any mess room or recreation room and six air changes in any other room, the amount of re-circulated air not exceeding 50 per cent. at any stage, while on voyage.

27. Protection from mosquitoes and rats.- (1) Passenger accommodation spaces, other than galleys, storerooms and recreation spaces on the open deck, shall be provided with protection against the admission of mosquitoes.

(2) The protection referred to in sub-rule (1) shall be provided by means of screens of rust proof wire or other suitable material which shall be fitted to all side scuttles, natural ventilators, skylights and doors leading to the open deck.

(3) Effective rat proofing measures are to be provided in accommodation spaces.

28. Airing space.- Where the duration of voyage exceeds 4 hours, airing space shall be provided for all passengers at the scale of 0.5 square metre per passenger and such airing space shall be marked conspicuously.

29. Marking of spaces.- Any space intended for the accommodation of passengers shall be conspicuously marked at or near the entrance to that space indicating the number of such passengers that the space is certified to accommodate.

30. Provision of medical stores.- Every passenger vessel carrying more than 100 passengers and on voyages of more than 24 hours shall carry medicine, medical stores disinfectants, and surgical appliances as may be specified by the Designated Authority.

31. Toilet facilities.- (1) For vessels provided with seating accommodation only, toilet facilities shall be provided for the use of all seated passengers, and the number of toilets shall be as follows-

- (a) up to 50 passengers 1 water closets (WCs);
- (b) up to 100 passengers 2 WCs; and
- (c) for each additional 100 passenger, or part thereof 2 WCs or 1 WC and 1 urinal.

(2) Separate toilets shall be set apart for the exclusive use for male and female passengers and fitted with entirely separate entrances and all toilets shall be clearly marked and lighted to indicate whether they are intended for use of male or female passengers.

(3) For vessels provided with sleeping accommodation, four toilets shall be provided for the first hundred passengers and two toilets for every additional fifty passengers.

(4) The requirements provided in sub-rule (1) may be relaxed for open inland vessels and those vessels engaged on voyages of less than 30 minutes duration, provided that WCs are provided in the vicinity of embarkation or disembarkation places.

(5) All sanitary facilities shall be sufficiently ventilated.

32. Wash places and baths.- (1) In passenger vessels performing voyages exceeding 48 hours duration, there shall be provided for the exclusive use of passengers washing facilities, namely-

- (a) one wash basin or sink with running fresh water for every 25 passengers; and
- (b) one water tap or shower for bathing for every 25 passengers or part thereof and at least one tap or shower shall also be fitted to supply running hot water and so regulated as to prevent scalding.

(2) Every passenger vessel performing a voyage of less than 48 hours duration but not less than 24 hours shall be provided with wash basins, taps or showers at half of the facilities provided in sub-rule (1).

(3) Every passenger vessel performing a voyage not exceeding 24 hours shall be provided one wash place for male passengers and one for female passengers and each of such wash basins or sinks shall be functional with running cold fresh water.

(4) Where the voyages exceed 12 hours duration, showers or taps with fresh running water shall be provided in each wash place.

(5) At least one wash place shall be set apart for the exclusive use of female passengers.

33. Supply of food, fuel and water.- (1) Every passenger vessel on voyages exceeding 6 hours shall have provisions for food, beverages and drinking water to the passengers.

(2) In no case a passenger shall be permitted to cook food on board.

(3) There shall be fresh water of not less than 22.5 litres per day supplied to passengers for all purposes inclusive of the quantity necessary for drinking.

(4) Fresh water may be carried in double bottom tanks or in other tanks fitted above double bottoms or any other tanks fitted for this purpose.

(5) All fresh water tanks shall be cleaned, cement washed or if coated with bituminous plastic or other proprietary composition, re-coated where necessary shall be aired and disinfected at intervals not exceeding 12 months and in addition, the tanks shall be thoroughly pumped out, hosed and disinfected prior to refilling at six months intervals.

(6) The disinfection as provided under sub-rule (5) shall be carried out under the supervision of the Port health Officer or Officer appointed by the Designated Authority.

(7) There shall be provided on every deck used by passengers, efficient means for the regular supply of cold, fresh and potable drinking water suitably distributed in the passenger spaces.

34. Guard rails and stanchions.- (1) All passenger vessels carrying passengers shall be provided with bulwarks or guard rails on every deck to which the passengers have access.

-
- (2) Such bulwarks or guard rails shall be not less than 100 centimeters high, measured from the top of the deck to the top of the uppermost rail and the rails shall be not more than 230 millimeters apart unless strong netting is provided.
- (3) Where bulwarks are fitted, the freeing ports shall be fitted with suitable grids for protection of passengers.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)